# 6 स्थानों पर पकड़ी विद्युत चोरी, 3 .32 लाख वसूले

**नवभारत न्यूज**

**मुरैना/जौरा, 26 अगस्त।** विद्युत विभाग के मुख्य अभियंता विनोद कटारे सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बिजली बिलों की बकाया राशि को सख्ती के साथ वसूलने को लेकर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए सहायक यंत्री पी.एस. यादव एवं कनिष्ठ यंत्री मुकेश कुमार मिश्रा द्वारा दिन एवं रात में आकस्मिक निरीक्षण कर कई स्थानों विद्युत की चोरी भी पकड़ी।

26 अगस्त को सहायक यंत्री श्री यादव ने वसूली टीम के साथ रूनीपुर रोड क्षेत्र में 6 विद्युत उपभोक्ताओं के यहां विद्युत की चोरी पकड़ी, वहीं वसूली टीम द्वारा नगर में बकाया राशि वाले 17 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए। टीम को शाम तक 3,32,000 रुपये की वसूली भी प्राप्त हुई। वहीं 25 तारीख की रात में 10:00 बजे से लेकर 2:00 बजे तक वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर कनिष्ठ यंत्री मुकेश मिश्रा ने टीम के साथ आकस्मिक चेकिंग की।

आठ ऐसे कनेक्शन भी काटे गए जो बकाया के अभाव में पहले काटे गए थे, जो उपभोक्ता द्वारा अवैध रूप से फिर से जोड़ लिए थे। विद्युत अधिकारियों का कहना है कि दिन के अलावा प्रतिदिन रात में भी आकस्मिक निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर लगातार जारी रहेगा।

# जन अभियान परिषद जौरा ने आयोजित की माटी गणेश निर्माण कार्यशाला

**नवभारत न्यूज**

**मुरैना, 26 अगस्त।** मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद, ब्लॉक जौरा द्वारा शासकीय महाविद्यालय जौरा में माटी गणेश निर्माण कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, पारंपरिक कला का संवर्धन तथा युवाओं में स्वदेशी चेतना को जागृत करना रहा।कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संभाग समन्वयक धर्मेंद्र सिंह सिसोदिया उपस्थित रहे। अन्य विशिष्ट अतिथियों में शासकीय महाविद्यालय जौरा के प्राचार्य डॉ. एच. एन. सिंह हाड़ा, जिला समन्वयक सतीश सिंह तोमर, डॉ. हरेंद्र सिंह तोमर, डॉ. एस.पी. सिंह उच्चाडिया सहित नवांकुर प्रतिनिधि, प्रस्फुटन समितियों के सदस्य एवं सीएमसीएलडीपी के छात्र-छात्राएं सम्मिलित हुए।

मुख्य अतिथि श्री सिसोदिया ने अपने उद्बोधन में विद्यार्थियों को आत्मबल बढ़ाने और अपनी प्रतिभा पर विश्वास रखने का संदेश देते हुए कहा कि स्वदेशी कला और परंपराओं को अपनाकर ही हम आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सशक्त कदम बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि

इस कार्यशाला का उद्देश्य न केवल गणेश प्रतिमा निर्माण है, बल्कि पर्यावरण की शुद्धता, सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण और पारंपरिक कलाओं का पुनर्जीवन भी है। कार्यक्रम के दौरान छात्रा प्रिया तोमर ने भगवान गणेश की स्तुति प्रस्तुत की, वहीं अनन्या सिकरवार ने गजानन जी पर सुंदर भजन की प्रस्तुति दी, जिससे वातावरण भक्तिमय हो गया। ब्लॉक समन्वयक बी. डी. शर्मा ने अपने वक्तव्य में कहा कि भारतीय संस्कृति की रक्षा और संवर्धन हम सभी की जिम्मेदारी है। सतीश सिंह तोमर ने माटी गणेश निर्माण को जल संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा से जोड़ते हुए कहा कि घर पर मिट्टी की प्रतिमा स्थापित कर हम न केवल अपनी कला को जीवित रख सकते हैं, बल्कि जल स्रोतों को भी प्रदूषित होने से बचा सकते हैं।कार्यशाला में उपस्थित सभी विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए माटी से सुंदर गणेश प्रतिमाओं का निर्माण किया और अपनी सृजनात्मक प्रतिभा का परिचय दिया। कार्यक्रम का संचालन सुचारू रूप से संपन्न हुआ और अंत में आभार प्रदर्शन कैलाश शर्मा द्वारा किया गया।

## रासेयो ने दिया इको-फ्रेंडली गणेश बनाने का प्रशिक्षण

**मुरैना/अम्बाह।** महात्मा लोचनदास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अम्बाह के रासेयो स्वयं सेवक शिवम् माहौर, दीपांशु शर्मा, देवेन्द्र राठौर और शांतनु तोमर सहायक कार्यक्रम अधिकारी विपिन तोमर के नेतृत्व में चांद का पुरा गांव पहुंचे। जहां उन्होंने स्थानीय विद्यालय वात्सल्य के छात्र छात्र-छात्राओं को मिट्टी के ईको फ्रेंडली गणेश बनाने का प्रशिक्षण दिया।

कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जनपद सदस्य श्रीमती सावित्री देवी उपस्थित रहीं। अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाचार्य अजमेर माहौर ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में समाजसेवी राजकुमार तोमर और रासेयो कार्यक्रम अधिकारी विजय शर्मा ने छात्र-छात्राओं का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश पूजन से हुई । अतिथि स्वागत सत्कार के तत्पश्चात कार्यक्रम अधिकारी विजय शर्मा ने कार्यक्रम के उद्देश्य पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारे यहां हर माह कोई न कोई विशेष त्यौहार मनाया जाता है। जिनमें खुशहाली के साथ -साथ प्रकृति के प्रति सम्मान ,आदर की भावना और आपसी भाईचारा, समाजिक एकता को बढ़ावा देने के संदेश छिपे होते हैं। हमारे पूर्वज इन संदेशों के अनुरूप ही वर्षों से त्यौहार मनाते आ रहे हैं। किन्तु हमारी वर्तमान पीढ़ी त्यौहारों में छिपे इन संदेशों से या तो अनभिज्ञ है या जानबूझकर उपेक्षा कर रही है। परिणाम स्वरूप त्यौहार औपचारिक भर रह गए हैं। राजकुमार तोमर ने बताया कि गणेश जी हमारे प्रथम पूज्य देव है। हमें उनके गुणों को अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। अध्यक्षीय उद्बोधन में श्री माहौर ने छात्र-छात्राओं से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अपने आसपास तथा घरों में ईको-फ्रेंडली गणेश की स्थापना करने की अपील की।

# मारपीट के आरोपियों को 3-3 वर्ष का कठोर कारावास

**नवभारत न्यूज**

**मुरैना/जौरा, 26 अगस्त।** न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील जौरा, जिला मुरैना के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 01. महेश पुत्र बद्रीप्रसाद शर्मा, उम्र-45 वर्ष, 02. दिनेश पुत्र बद्रीप्रसाद शर्मा, उम्र-49 वर्ष, 03. राजेश पुत्र बद्रीप्रसाद शर्मा, उम्र-41 वर्ष, 04. पवन पुत्र दिनेश शर्मा, उम्र-23 वर्ष, समस्त निवासीगण- ग्राम पुरोहित पुरा, थाना चिन्नौनी, जिला मुरैना म.प्र. को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 452, 323/34, 324/34, 325/34 के अंतर्गत दोषी पाते हुये 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास व 7,500-7500/- रूपये (कुल 30,000/- रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियोजन अधिकारी मीडिया सेल प्रभारी श्रीमती रश्मि अग्रवाल ने बताया कि दिनांक 04.10.2020 को फरियादिया श्रीमती प्रीति शर्मा ने पुलिस थाना चिन्नौनी पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि फरियादिया श्रीमती प्रीती सुबह 08 बजे के करीब अपने घर के अंदर काम कर रही थी एवं उसका देवर घर के अंदर नहा रहा था तथा उसका लड़का भोला एवं उसकी सास भागवती भी घर के अंदर थे, तभी आरोपीगण महेश शर्मा, दिनेश शर्मा, राजेश शर्मा, पवन शर्मा जिनसे उसकी पुरानी रंजिश चल रही थी, पुरानी रंजिश पर से आरोपीगण लाठी-फर्सा लेकर उसके घर के अंदर घुस आये और माँ-बहिन की गंदी गंदी गालियां देने लगे और जब उन्होंने गाली देने से मना किया तो महेश ने जेरी मारी जो उसके दाहिने हाथ में लगी, दिनेश ने लाठी मारी जो बांये पैर में लगी जिससे खून निकल आया तथा महेश, दिनेश, राजेश व पवन ने उसके देवर प्रमोद, लड़के भोला व सास भागवती की भी लाठी-फर्सा से मारपीट की जिससे उन्हें शरीर में जगह-जगह चोटें आई। मौके पर राजेन्द्र शर्मा व लालू शर्मा ने आकर बीच-बचाव कराया। जाते समय चारों आरोपीगण कह रहे थे कि इन लोगों ने बचा लिया, आईंदा जान से खत्म कर देंगे। रियादिया की उक्त रिपोर्ट पर से पुलिस थाना चिन्नौनी पर अपराध क्रं. 157/2020 अंतर्गत धारा 294, 323, 324, 452, 506, 34 भा.द.स. के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की जाकर प्रकरण विवेचना में लिया गया। संपूर्ण आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा सहा. जिला अभियोजन अधिकारी जौरा श्री लखन लाल आर्य द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों को स्वीकार करते हुये आरोपीगण को दण्डित किया गया।

# 5 आदतन अपराधियों के विरूद्ध जिलाबदर आदेश जारी

**नवभारत न्यूज**

**मुरैना, 26 अगस्त।** पुलिस अधीक्षक जिला मुरैना समीर सौरभ (भापुसे) द्वारा जिला मुरैना के समस्त थाना क्षेत्र के ऐसे आपराधिक तत्वों जिनके विरूद्ध

**आदतन अपराधियों के विरुद्ध दर्ज हैं कई प्रकरण**

04 या 04 से अधिक अपराध पंजीबद्ध हैं एवं उनके द्वारा विगत वर्षों में कोई अपराध कारित किया गया है ऐसे अपराधियों के विरूद्ध जिलाबदर की कार्यवाही किये जाने हेतु विशेष अभियान चलाया जाकर जिले के समस्त थाना प्रभारीगण जिला मुरैना को निर्देशित किया गया।

उक्त अभियान के तारतम्य में संबंधित थाना प्रभारियों की ओर से प्राप्त जिलाबदर प्रकरण के अवलोकन उपरांत प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही हेतु कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, मुरैना की ओर भेजे गए। पुलिस अधीक्षक मुरैना द्वारा प्रेषित प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त करते हुए एवं उक्त अपराधियों की आपराधिक, असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में अंकित अस्थाना कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मुरैना द्वारा म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 सहपठित धारा 56 में निहित प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुल 05 आदतन अपराधियों को 01 वर्ष की अवधि के लिए जिला मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर एवं भिण्ड की सीमा से बाहर करते हुए जिलाबदर आदेश पारित किया गया है, इस अवधि में उनके जिले में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा एवं आदेश का उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। उक्त आदतन अपराधियों के विरूद्ध मारपीट, शराब तस्करी, हत्या का प्रयास, फायरिंग, लूट, आर्म्स एक्ट जैसे कई प्रकरण पूर्व से पंजीबद्ध हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

मनीष पुत्र ऊदल सिंह उम्र 30 साल निवासी- ग्राम भरतपुरा थाना अम्बाह, शिवनाथ शर्मा पुत्र विश्वनाथ शर्मा उम्र 46 साल निवासी- ग्राम सेंथरा अहीर थाना पोरसा, राहुल उर्फ कल्लू पुत्र रामसेवक उपाध्याय उम्र 30 साल निवासी- ग्राम बड़फरा अम्बाह हाल रामनगर मुरैना थाना स्टेशन रोड, हरेन्द्र उर्फ कल्लिया पुत्र रामअख्यार सिंह गुर्जर उम्र 31 साल निवासी- ग्राम माताबसैया थाना माताबसैया, नजर खान पुत्र नौसे खाँ उम्र 33 साल निवासी- न्यू बस स्टैण्ड के सामने जौरा थाना जौरा।

# संयम की साधना में पंचेंद्रियों पर अंकुश आवश्यक : विलोकसागर

**नवभारत न्यूज**

**मुरैना, 26 अगस्त।** जैन दर्शन में प्राणी मात्र के कल्याण पर जोर दिया गया है । संसार के प्रत्येक प्राणी के अंदर अपार क्षमता है । लेकिन कषायों के वशीभूत होकर वह सब कुछ भूल चुका है । सांसारिक प्राणी क्रोध, मान, माया

**पर्यूषण पर्व श्रावकों को संयम का मार्ग दिखाता है**

लोभ के वशीभूत होकर चार गति चौरासी लाख योनियों में भ्रमण करता रहता है । संसार सागर से पार होने के लिए पूर्वाचार्यों ने हमें दो मार्ग बतलाए हैं । प्रथम मार्ग श्रमण परम्परा यानिकि मुनि

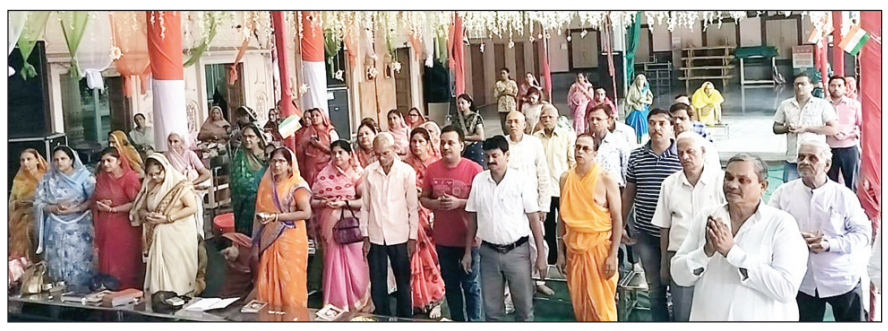

बनाना होगा, दिगंबरत्व धारण करना होगा । द्वितीय मार्ग गृहस्थ अवस्था यानिकि श्रावक धर्म स्वीकार करना होगा । मुनिराज तो पंच महाव्रत, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत का पालन करते हुए पूर्णरूपेड़ पाप आदि क्रियाओं से दूर रहकर धर्माराधना करते हैं। मुनिराज तो महाव्रती होते हैं, पांचों महाव्रतों का पालन करते हुए, अपने अंतरंग से विकारों को नष्ट कर, संयम की साधना कर लेते हैं, लेकिन गृहस्थ अवस्था में श्रावक इन पांच पापों का पूर्ण त्याग नहीं कर पाता, यही कारण है कि वह संयम भी धारण नहीं कर पाता। इसीलिए पूर्वाचार्यों ने श्रावकों के लिए कहा है कि श्रावकों को शनैः शनैः अभ्यास करते हुए अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना चाहिए । उक्त उद्गार दिगम्बर जैन मुनिराजश्री विलोकसागरजी महाराज ने बड़े जैन मंदिर में धर्मसभा को संबोधित करते हुए व्यक्त किए ।

मुनिश्री ने दसलक्षण धर्मणके महत्व को समझाते हुए कहा कि पर्यूषण पर्व में दस धर्मों की आराधना, भक्ति, पूजन करते हुए आत्मकल्याण के मार्ग की ओर बढ़ना चाहिए । आचार्य भगवन्तों ने कहा है कि दसलक्षण पर्व में सभी श्रावकों श्राविकाओं को धर्माचरण करते हुए आत्मकल्याण की भावना को प्रवल करना चाहिए । वर्तमान में भादो माह के दसलक्षणों का अधिक महत्व है । इस पर्व में सभी को अधिक से अधिक संयम साधना करते हुए अपने कर्मों की निर्जरा करना चाहिए ।

## जनसुनवाई में 11 आवेदन कर्ताओं को सुना गया

**मुरैना, 25 अगस्त।** चम्बल भवन मुरैना में ग्वालियर-चम्बल संभाग के कमिश्नर मनोज खत्री के निर्देशन में संयुक्त आयुक्त विकास बी.एस. जाटव ने मंगलवार को जनसुनवाई में 11 आवेदकों की समस्याओं को सुना। इस दौरान भूमि विवाद, पारिवारिक विवाद आदि जैसे आवेदन प्राप्त हुए। जिनका निराकरण करने के लिए आवेदनकर्ता को आश्वस्त किया गया।

## आकांक्षी हाट कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों से स्थगित

**मुरैना, 26 अगस्त।** शासन के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय मुरैना पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कमलेश कुमार भार्गव के नेतृत्व में 28 से 31 अगस्त तक टाउनहॉल मुरैना में आयोजित करने के निर्देश दिये थे। उक्त आकांक्षी हाट कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया गया है।

## जिला मुख्यालय पर 128 आवेदनों पर हुई जनसुनवाई

**नवभारत न्यूज**

**मुरैना, 26 अगस्त।** जिला मुख्यालय पर जनसुनवाई के दौरान 26 अगस्त को 128 आवेदन प्राप्त हुए। उन आवेदनों को संबंधित विभागों को समक्ष में अवगत कराया और निराकरण हेतु शिकायत शाखा को भेजे गये।

जनसुनवाई कलेक्टर अंकित अस्थाना के निर्देश पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कमलेश कुमार द्वारा की गई। इस अवसर पर अपर कलेक्टर अश्विनी कुमार रावत, डिप्टी कलेक्टर सहित संबंधित विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।

## पेंशनर्स एसोसिएशन ने दिया ज्ञापन

**मुरैना/जौरा, 26 अगस्त।** पेंशनर्स एसोसिएशन शाखा जौरा ने 26 अगस्त को एसडीएम शुभम शर्मा को प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम दिए गए ज्ञापन में लिखा है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जिला पेंशनर्स एवं संभागीय पेंशनर्स कार्यालय को समाप्त कर भोपाल में एकीकृत सेल बनाने का जो आदेश जारी किया है उस आदेश से प्रदेश भर के सभी पेंशनर्स में आक्रोश का माहौल है, इसलिए उक्त आदेश को तत्काल वापस लिया जाए।

# बानमौर में चार औद्योगिक इकाइयों को किया सील

**नवभारत न्यूज**

**मुरैना, 26 अगस्त।** मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल द्वारा निर्धारित मानकों का उल्लंघन करते हुए औद्योगिक क्षेत्र जडेरुआ, तहसील बानमौर, जिला मुरैना में संचालित चार औद्योगिक इकाइयाँ अमानक पाई गईं।

इस संबंध में कलेक्टर अंकित अस्थाना द्वारा तत्परता दिखाते हुए तहसीलदार बानमौर एवं महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र को तत्काल कार्रवाई के

निर्देश दिए गए।निर्देशों के अनुपालन में तहसीलदार बानमौर श्रीमती वंदना यादव, महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र मुरैना बी.एल. मरकाम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ग्वालियर के सहायक यंत्री सलमान खान एवं कनिष्ठ वैज्ञानिक पृथ्वीराज चौहान, तथा सहायक संचालक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र संजय सिंह चौहान सहित संयुक्त दल ने कार्रवाई करते हुए टायर पायरोलेसिस यूनिट्स, अंजली बायो फ्यूल, पीतांबरा बायो फ्यूल, एवं आर. वी. ग्रीन टेक नामक इकाइयों का संचालन बंद कर उन्हें सील कर दिया।यह कार्रवाई जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33(क) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31(क) के अंतर्गत की गई।

# टीएसएस इंटरनेशनल स्कूल में बेस्ट जॉन हैंडबॉल प्रतियोगिता फर्स्ट राउंड के मैच हुए

**नवभारत न्यूज**

**मुरैना, 26 अगस्त।** 24 अगस्त रविवार से सीबीएसई बोर्ड के तत्वाधान में सुंदरपुर रोड स्थित टीएसएस इंटरनेशनल स्कूल में चल रही चार दिवसीय बेस्ट जॉन हैंडबॉल प्रतियोगिता के तीसरे दिन मंगलवार को एक दर्जन से अधिक फर्स्ट राउंड के मैच बेहद रोमांचक रहे और खिलाड़ियों ने प्रदर्शन के दौरान जमकर तालियां बटोरी। दर्शक दीर्घा में बैठे सभी स्कूलों के छात्र-छात्राओं ने मैच का लुत्फ उठाया । इस अवसर पर सीबीएसई के ऑब्जर्वर राजकुमार सेंगर, स्कूल के डायरेक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह सिकरवार, प्राचार्य श्रीमती शिखा श्रीवास्तव एवं स्पोर्ट्स टीचर राजेंद्र सिंह मौजूद रहे।

मंगलवार को तीसरे दिन सुबह 7.30 बजे से ही गुजरात, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के बेस्ट स्कूलों की टीमें स्कूल के तीनों मैदान में मैच के लिए उतरी और फिर अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 सिलेक्टेड टीमों के बीच मुकाबला आरंभ हुए। मंगलवार को महाराज स्वामी मानसिंह जयपुर में नेशनल चिल्ड्रंस

हायर सेकेंडरी स्कूल ग्वालियर को फर्स्ट राउंड में हराया दूसरे मैच में एंथोनी सर स्कूल उदयपुर ने मैट्रिक्स हाई स्कूल सीकर को हरा दिया। नेशनल चिल्ड्रन हायर सेकेंडरी स्कूल ग्वालियर को श्री जैन युवक मंडल इंग्लिश मीडियम स्कूल में पटकनी दी। सिसोमु स्कूल श्री डूंगरगढ़ बीकानेर एवं ब्रजभूमि इंटरनेशनल स्कूल मोगर गुजरात के बीच मैच टाई हो गया । पोद्दार वर्ल्ड स्कूल समा बड़ोदरा गुजरात द्वारा सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल सागर को हरा दिया गया। प्रिंस इंटरनेशनल स्कूल झुंझुनू राजस्थान को माहेश्वरी पब्लिक स्कूल कलवार जयपुर ने हराया। आर्मी पब्लिक स्कूल सागर में लकी बाल निकेतन स्कूल की टीम को हरा दिया ।

एलवुड इंटरनेशनल स्कूल जयपुर को एंथोनी स्कूल उदयपुर राजस्थान ने हराया । महाराज स्वामी मानसिंह विद्यालय जयपुर के द्वारा सोफिया स्कूल उदयपुर को हरा दिया गया। श्री जैन युवक मंडल इंग्लिश स्कूल गुजरात ने आर्मी पब्लिक स्कूल जोधपुर को इस मैच में शिकस्त दी।

**आम सूचना**

श्रीमती कृष्णप्यारी पत्नी श्री रामप्रकाश के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भूखण्ड, स्थित नंदे का पुरा एवं काशीपुर मजरे को छोड़कर, ग्राम बड़ोखर, तहसील व जिला मुरैना (म.प्र.) है जो नगर पालिका निगम मुरैना वार्ड क्र.02 महाकाल (बड़ोखर में स्थित है जो भूमि सर्वे क्र.169/3 ग्राम बड़ोखर का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 900 वर्गफुट है और चर्तुसीमा निम्न प्रकार है:-पूर्व में-सम्पति विक्रेता, पश्चिम में-भूखण्ड नीतू, उत्तर में- सम्पति विक्रेता एवं दक्षिण में-रास्ता 20 फुट चौड़ा है। उक्त सम्पति एवं संलग्न अन्य सम्पति पूर्व में श्री सीताराम पुत्र श्री हुकुम सिंह, रामबाई पुत्री श्री हुकुम सिंह के संयुक्त स्वत्व स्वामित्व की थी। श्री सीताराम द्वारा उक्त सम्पति श्रीमती कृष्णप्यारी पत्न श्री रामप्रकाश को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.एमपी25792024ए 1526380 दिनांक 01.05.2024 से विक्रय की गई। श्रीमती कृष्णप्यारी द्वारा उक्त सम्पति को मेरे पक्षकार आवास फायनेंसियर्स लिमिटेड वित्तीय संस्थान ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय एवं उक्त सर्व क्रमांक के अन्य सहस्वामियों को उक्त सम्पति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित निहित होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 3 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृपया सूचित हो।

**प्रेषक**
**नीरज जैन, एडवोकेट**
**कार्या-भवन क्र.52, कैलाश विहार,फेडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.)**
**मो.नं. 98276-72710**

**आम सूचना**

श्रीमती शशि तोमर पत्नी श्री हरेन्द्र सिंह तोमर के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भवन, स्थित ग्राम अम्बाह, प.ह.नं.12, स.नं.01 (अम्बाह), जनपद पंचायत एरिया अम्बाह, तहसील अम्बाह व जिला मुरैना (म.प्र.) में है जो नगर पालिका अम्बाह वार्ड क्र.01 में स्थित है जो भूमि सर्वे क्र.1010 (पुराना) एवं 1010/मिन-3(नया) ग्राम अम्बाह का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 960 वर्गफुट है और जिसकी चर्तुसीमा निम्न प्रकार है:- पूर्व में-भूखण्ड शर्मा जी, पश्चिम में-भूखण्ड श्री राहुल तोमर, उत्तर में-गली 24 फुट चौड़ी एवं दक्षिण में-भूमि श्री परिमल शर्मा है। उक्त सम्पति एवं संलग्न अन्य सम्पति पूर्व में श्री रामेश्वर पुत्र श्री केशव सिंह एवं अन्य के संयुक्त स्वत्व स्वामित्व की थी। श्री रामेश्वर जी का स्वर्गवास हो जाने के उपरांत, उनके उत्तराधिकारी श्री भगवान सिंह, श्री मोहन सिंह, श्री वीरेन्द्र सिंह एवं श्री सूरज सिंह पुत्रगण श्री रामेश्वर सिंह उनकी सम्पति के मालिक हुये एवं भू-राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम इंद्राज कराया गया। श्री वीरेन्द्र सिंह चौहान द्वारा उक्त सम्पति श्रीमती शशि तोमर पत्नी श्री हरेन्द्र सिंह तोमर को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र. एमपी25802020ए1290724 दिनांक 17.06.2020 से विक्रय की गई। श्रीमती शशि तोमर द्वारा उक्त सम्पति को मेरे पक्षकार आदित्य बिड़ला हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय एवं उक्त सर्व क्रमांकों के अन्य सहस्वामियों को एवं श्री रामेश्वर जी के अन्य उत्तराधिकारियों को उक्त सम्पति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित निहित होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 3 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी । तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी । कृपया सूचित हो ।

**प्रेषक**
**नीरज जैन, एडवोकेट**
**कार्या-भवन क्र.52, कैलाश विहार,फेडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.)**
**मो.नं. 98276-72710**

**आम सूचना**

श्रीमती पपीता धाकड़ पत्नी श्री जबर सिंह धाकड़ के स्वत्व व स्वामित्व की अचल सम्पति भूखण्ड, स्थित ग्राम रिठौनिया, प.ह.नं.39, रा.नि.मं.02 कैलारस, तहसील कैलारस व जिला मुरैना (म.प्र.) है जो भूमि सर्वे क्र. 184 ग्राम रिठौनिया का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 800 वर्गफुट है और चर्तुसीमा निम्न प्रकार है:- पूर्व में-रास्ता 12 फुट चौड़ा, पश्चिम में-रास्ता 12 फुट चौड़ा, उत्तर में-भूखण्ड श्री रामनिवास शुक्ला एवं दक्षिण में-भूखण्ड शाक्य है। उक्त सम्पति एवं संलग्न अन्य सम्पति पूर्व में श्री गोपी पुत्र श्री हरिविलास एवं अन्य के संयुक्त स्वत्व स्वामित्व की थी। श्री गोपी द्वारा सम्पति रकबा 0.19 आरे श्री प्रवेश कुमार एवं श्री दिनेश कुमार पुत्रगण श्री मुरारीलाल को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.1688 दिनांक 14.03.2012 से विक्रय की गई। श्री सुमित पाठक पुत्र श्री जमुनाप्रसाद पाठक को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र. एमपी 25832018ए1556562 दिनांक 04.08.2018 से विक्रय की गई। श्री सुमित पाठक द्वारा उक्त सम्पति श्रीमती पपीता धाकड़ पत्नी श्री जबर सिंह धाकड़ को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.एमपी25832021ए1489584 दिनांक 28.06.2021 से विक्रय की गई। उक्त सम्पति के वर्तमान स्वामी द्वारा ऐसा अवगत कराया गया है कि उक्त विक्रय विलेख दिनांक 04.08.2018 की मूलप्रति गुम हो गई है। श्रीमती पपीता धाकड़ द्वारा उक्त सम्पति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान मणप्पुरम होम फायनेंस लिमिटेड ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय को उक्त विक्रय विलेख दिनांक 04.08.2018 की मूलप्रति प्राप्त हों तो वह मूल दस्तावेज प्रदान करें एवं जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम, निकाय अथवा उक्त सर्व क्रमांक के अन्य सहस्वामियों को उक्त सम्पति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृपया सूचित हो।

**प्रेषक**
**नीरज जैन, एडवोकेट**
**कार्या-भवन क्र.52, कैलाश विहार,फेडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.)**
**मो.नं. 98276-72710**